क्रमांक-4

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरूवार, दिनांक 13 मार्च, 2025 (फाल्गुन 22, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2,3,4,5,6,7,8, 9,10, 11, 12 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 160 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 185 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय,सदस्य ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को समय पर वेतन न मिल पाना।

(2) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य ने शिवपुरी जिले में अस्वच्छ धंधे में लगे कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिल पाना।

(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरयावली विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल टंकी में पानी का रिसाव होना।

(4) श्री विपीन जैन, सदस्य ने मंदसौर स्थित कालाखेत शापिंग काम्पलेक्स और आस-पास के क्षेत्र में अतिक्रमण किया जाना।

(5) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने प्रदेश में बी.ओ.टी. तथा ओ.एम.टी. मद से बनी सड़कों पर टोल टेक्स के रूप में अवैध वसूली।

(6) श्री सोहन लाल बाल्मीक, सदस्य ने परासिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोमरी स्थित भूमि को राजस्व विभाग को हस्तांतरित किए जाने से उत्पन्न स्थिति।

(7) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने हरदा जिले में नाथ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल न किया जाना।

(8) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने देवास जिले के कन्नौद से पुनासा एवं बिजवाड़ से खातेगांव सड़क क्षतिग्रस्त होना।

(9) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सेमरिया में बैजनाथ क्षेत्र में सब माईनर बनाकर एन.व्ही.डी.ए. से जोड़ा जाना।

(10) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने मुरैना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में भवन एवं शिक्षक की व्यवस्था किया जाना।

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था.

राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाने संबंधी.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, माननीय सदस्यगण, कल और परसों माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण की चर्चा के दौरान बीच में कई बार थोड़ी सी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई और उसके कारण सदन के सदस्यों को भी मुझे लगता है कि उचित नहीं लगा होगा और मेरा मन भी बहुत व्यथित हुआ. परसों श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे जी ने जो वक्तव्य दिया,फिर कल श्री भूपेन्द्र सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया, वह निश्चित रूप से थोड़ा सा अनुचित मुझे लगा और मैंने भी एक तौर से उसको बहुत गंभीरता से लिया, चूंकि हम सभी मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और मध्यप्रदेश की विधानसभा में बहुत सारे सदस्य अनेक वर्षों से आ रहे हैं और विधानसभा में हमारे पूर्वजों ने भी बहुत अच्छी परंपराएं स्थापित की हैं, जिसके कारण मध्यप्रदेश की विधानसभा की देश भर में जो प्रतिष्ठा है, वह अग्रणी स्थान पर सामान्य तौर पर रहती है, लेकिन कई बार शब्दावली ऐसी हो जाती है, जो उचित नहीं कही जा सकती है और इसके कारण हम सबका यह प्रयत्न होना चाहिए कि शब्दावली में सुधार हो और हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचें. कल माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार सिंह जी, दोनों ने प्वाइंट ऑफ आर्डर के जरिये भी अपनी व्यथा व्यक्त की थी और मैं इस पर आज यह व्यवस्था दे रहा हूं मैंने दोनों सदस्यों के

वक्तव्यों को मंगाकर,कार्यवाही को पढ़ा है और उसमें जो उपयुक्त नहीं है, जिससे सदन की मर्यादा कहीं न कहीं प्रभावित होती है, ऐसे शब्दों को विलोपित किया है. मेरी अपेक्षा है कि सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों से बचें और ऐसी शब्दावली का उपयोग न करें, जिससे हमारे सदन की परंपरा हमेशा के लिये प्रभावित हो और कलंकित हो, ऐसी मेरी आप सब लोगों से अपेक्षा है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पूरे सदन की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापित किया.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का 8वां लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखा गया.

(2) **श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री** द्वारा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2022-23 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियाँ) पटल पर रखी गयी.

(3) **श्री नारायण सिंह कुशवाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री** द्वारा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखा गया.

(4) **श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री** द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं

(ख) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का 22वां वित्तीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

(5) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** द्वारा,

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का 67 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 एवं

(ii) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

(6) **श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी** द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखा गया.

(7) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन** द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन्, 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2020-21 (31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए) पटल पर रखा गया.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री बिसाहूलाल सिंह, सभापति ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-** पन्ना**)**
(2) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**टीकमगढ़**)**, **(जिला-**निवाड़ी**)**, **(जिला-**निवाड़ी**)**
(3) **श्री मुरली भंवरा (जिला-** देवास**)**
(4) **श्री केशव देसाई (जिला-** भिण्ड**)**, **(जिला-** रायसेन**)**
(5) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-** दतिया**)**
(6) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-** सिवनी**)**
(7) **श्री दिनेश गुर्जर (जिला-** मुरैना**)**
(8) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-** धार**)**

(9) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला- अनूपपुर)
(10) श्री पंकज उपाध्याय (जिला- मुरैना)
(11) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला- धार)
(12) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला- छतरपुर)
(13) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला- छतरपुर)
(14) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला- कटनी)
(15) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार (जिला- मुरैना)
(16) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला- गुना)
(17) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव (जिला- खरगोन)
(18) श्री बाला बच्चन (जिला- बड़वानी)
(19) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला- खरगोन)
(20) श्री प्रहलाद लोधी (जिला- पन्ना)
(21) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला- अनूपपुर)
(22) श्री विक्रम सिंह (जिला- सतना)
(23) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला- दतिया)
(24) श्री सिद्धार्थ तिवारी (जिला- रीवा)
(25) श्री भैरो सिंह (बापू) (जिला- आगर-मालवा)
(26) श्री विपिन जैन (जिला- मंदसौर)
(27) श्री दिनेश जैन बोस (जिला- उज्जैन)
(28) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला- रतलाम)
(29) श्री मथुरालाल डामर (जिला- रतलाम)
(30) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला- बालाघाट)
(31) श्री मधु भाऊ भगत (जिला- बालाघाट)
(32) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला- मैहर)
(33) श्री विवेक (विक्की) पटेल (जिला- बालाघाट)
(34) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला- हरदा)
(35) श्री उमाकांत शर्मा (जिला- विदिशा)
(36) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला- रतलाम)
(37) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला- टीकमगढ़)
(38) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला- खरगोन)
(39) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला- शिवपुरी)
(40) श्री कैलाश कुशवाह (जिला- शिवपुरी)
(41) श्री फूलसिंह बरैया (जिला- दतिया)
(42) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला- सागर)
(43) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला- पन्ना)
(44) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला- नीमच)
(45) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला- धार)
(46) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला- ग्वालियर)
(47) डॉ. तेजबहादुर सिंह (जिला- उज्जैन)
(48) श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला- सागर)
(49) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला- टीकमगढ़)
(50) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला- मंडला)
(51) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला- भिण्ड)
(52) श्री अमरसिंह यादव (जिला- राजगढ़)
(53) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला- कटनी)
(54) श्री प्रदीप पटेल (जिला- मऊगंज)
(55) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला- बड़वानी)
(56) श्री राजन मण्डलोई (जिला- बड़वानी)
(57) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला- छिन्दवाड़ा)
(58) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला- छतरपुर)
(59) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला- शहडोल)

(60) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला- सागर)
(61) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला- ग्वालियर)
(62) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी (जिला- सागर)
(63) श्री अभय मिश्रा (जिला- रीवा)
(64) श्री अभिजीत शाह (अंकित बाबा) (जिला- हरदा)
(65) श्री अनिल जैन (जिला- निवाड़ी)
(66) श्री सुरेश राजे (जिला- ग्वालियर)
(67) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला- अलीराजपुर)
(68) श्री श्याम बरड़े (जिला- बड़वानी)
(69) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला- जबलपुर)
(70) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला- ग्वालियर)
(71) श्री विश्वनाथ सिंह (जिला- नरसिंहपुर)
(72) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला- शहडोल)
(73) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला- नर्मदापुरम)
(74) श्री मुकेश टंडन (जिला- विदिशा)
(75) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला- सिवनी)
(76) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला- दमोह)
(77) श्री मुकेश मल्होत्रा (जिला- श्योपुर)

7. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्रमश: लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(47) श्री उमंग सिंघार (नेता प्रतिपक्ष)

{सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी) पीठासीन हुईं.}

9. स्वागत उल्लेख.

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा सदन की दर्शक दीर्घा में श्री विष्णुदत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह, सांसद, नर्मदापुरम् की उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख किया गया.

10. अध्यक्षीय घोषणा.

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण) एवं मुख्यमंत्री का उत्तर.

दिनांक 11,12 एवं 13 मार्च 2025 को राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया.

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2025 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर प्रारंभ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री गोपाल भार्गव (चर्चा आपूर्ण)

13. विशेष उल्लेख.

होली की शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी गईं.

अपराह्न 02:12 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 13 मार्च, 2025